

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2014/ 4810-48 जयपुर, दिनांक 16.4.15

जिला कलेक्टर, (सहायता),
अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर,
भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़,
चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झालावाड़,
झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर,
पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरौही,
टोंक व उदयपुर।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आ.प्र.सआ/ ओलावृष्टि /2015/ 3669-826 दिनांक 30.03.2015 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। अभाव संवत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित उन्हीं क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र आदेश पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात प्रेषित करें। परन्तु ध्यान रहे कि इन क्षेत्रों में पूर्व में यदि किसी गौशाला की स्वीकृति ली गई है तो उसे पुनः शामिल न करें। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर द्वारा तदानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

अनुदान स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा-निर्देश सहायता निर्देशिका के अध्याय -6 बिन्दु सं.6.1 से 6.3.4 में अंकित है। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. अनुदान दर-

सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु 70/- रुपये तथा छोटे पशु हेतु 35/- रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. पशु आहार-

(1) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ कमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.11 के तहत वर्ष 2012 से निर्धारित नई दरों के संशोधन अनुसार पशु आहार की राशि कमशः 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50 रुपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।



(2) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा कय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. निरीक्षण मापदण्ड-

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क्र.स.	नम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/पं. समिति

4. अनुदान की देयता:-

यहा भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावे। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्ट्रों का संधारण कराया जावे :-

- क. खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
- ख. पशुओं का रजिस्टर
- ग. दैनिक खर्च रजिस्टर
- घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. भुगतान:-

गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा हे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

6. गत सम्वत में कुछ अभावग्रस्त जिलों द्वारा या तो विभाग को प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में नहीं भिजवाये गये हैं या जिलों द्वारा स्वयं के स्तर पर ही गौशालाओं को स्वीकृत कर दिया गया। इस सम्बन्ध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर प्रस्ताव

Duni

- निर्धारित प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही जिला कलेक्टर तदानुसार स्वीकृति जारी करे।
7. जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विभाग स्तर से आगामी सात दिवसों में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से जानकारी प्राप्त कर गौशालाओं की स्वीकृति जारी करवाने की कार्यवाही करे।
 8. गौशाला अनुदान स्वीकृत हो जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक 10 दिवसों में उक्त गतिविधि में हुई प्रगति से अवश्य अवगत करावे। उक्त अनुदान पहली बार 60 दिवस के लिए तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन से बढ़ाया जा सकता है।
 9. यदि पंजीकृत गौशाला के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त ही प्रस्ताव अभाव अवधि में प्रेषित करें।
 10. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पंजीकृत गौशालाओं में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्ट्रों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलेक्टरों को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंषा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।
 11. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित गौशाला के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रुपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)
 12. स्वीकृत गौशालाओं का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय



शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।



शासन संयुक्त सचिव

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप

मैं..... पुत्र/पुत्री/..... उम्र
निवासी..... तहसील जिला का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ की

1. मेरी संस्था का नाम एवं संस्था का पंजीयन संख्या..... यह है।
2. मेरी मेरी गौशाला/पशुशिविर के संचालन का स्थान..... तहसील का नाम.....
....., जिले का नाम..... यह है।
3. मैं इस गौशाला/पशुशिविर का पिछले वर्षों से संचालित कर रहा हूँ मेरी गौशाला/पशुशिविरे
में वर्तमान में बड़े..... छोटे कुल..... पशु संधारित है।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का अकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी
करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में
यदि कमी /अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही
की जा सकेगी।
6. मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूँगा।
7. जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्वतः पालन करूँगा।

शपथग्रहिता

मैं..... पुत्र/पुत्री/..... उम्र

निवासी..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य
है।

शपथग्रहिता